Regarding Ayushman Card

श्री जनार्दन मिश्रा **(**रीवा**) :** सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारक हर साल पाँच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज करवा सकता है । इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है । यह सुविधा सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में मिलती है । इसके अंतर्गत लाभार्थी को अस्पताल में इलाज के दौरान कितना पैसा खर्च हुआ है, इसका कोई भी प्रमाण अस्पताल द्वारा नहीं दिया जाता है ।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि हितग्राही रोगी को चिकित्सा में कितना खर्च हुआ, इसकी जानकारी डिस्चार्ज के समय प्रदान किये जाने का प्रावधान किया जाए । धन्यवाद ।